प्रा।८९५

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, वेबसाईट : **www.bsea.bihar.gov.in**, ई-मेल : **bseapatna@gmail.com**

पत्रांक : नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1-02/2020 2035 /पटना, दिनांक 22/12/2020

प्रेषक,

गिरीश शंकर,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰),

अररिया/ अरवल/ औरंगाबाद/ भागलपुर/ दरभंगा/ जमुई/ कैमूर/ कटिहार/ मधुबनी/ पटना/ सुपौल/ शेखपुरा एवं पश्चिमी चम्पारण।

उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स॰ स॰),

अररिया/ अरवल/ औरंगाबाद/ भागलपुर/ दरभंगा/ जमुई/ कैमूर/ कटिहार/ मधुबनी/ पटना/ सुपौल/ शेखपुरा एवं पश्चिमी चम्पारण।

प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰),

(संलग्न सूची के अनुसार)।

विषय : **प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।**

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 क(1) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के आलोक में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) एवं अधिसूचना संख्या-6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) के रूप में अधिसूचित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे, लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी अपने आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. **सम्प्रति, प्राधिकार वैसे प्राथमिक कृषि साख समितियों की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों एवं यथावश्यक रिक्त पदों का निर्वाचन कराना चाहता है, जिनका निर्वाचन प्रस्ताव संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी से पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है।**

4. **अनुलग्नक-1/ संबंधित जिला का नाम, में वर्णित प्राथमिक कृषि साख समितियों के मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वानच के उद्देश्य से प्राधिकार ने दिनांक 24.12.2020 को कट ऑफ-तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो दिनांक 24.12.2020 तक समिति की सदस्यता या सह-सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, के नाम ही प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।**

5. बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम-8 एवं प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी लिमिटेड की उप विधियाँ की कंडिका-7 में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति सोसाईटी का सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति सहकारी सोसाइटी के सदस्य नहीं बन सकते यदि,

(i) वह अठारह वर्ष से कम उम्र का है।

(ii) वह स्थायी रूप से सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में अपना निवास उठा लिया हो।

(iii) वह सोसाइटी का अथवा संबद्ध करनेवाली सोसाइटी का वेतनभोगी कर्मचारी है।

(iv) वह पागल है।

(v) उसने दिवालिया या अनुशोभनाक्षम (insolvent) न्यायनिर्णीत होने के लिये आवेदन किया है या वह अप्रमाणित दिवालिया या अनुशोधनाक्षम (insolvent) है।

(vi) उसे राजनीतिक अपराध को छोड़कर कोई दूसरे अपराध के लिये सजा हुई हो अथवा ऐसे अपराध के लिये सजा हुई हो जो नैतिक आचरण को अन्तग्रस्त करती हो और वह सजा रद्द नहीं की गयी हो या ऐसा अपराध क्षमा नहीं कर दिया गया हो। यह अयोग्यता सजा की समाप्ति से पांच वर्ष के बाद लागू नहीं होगी।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

i) अनुलग्नक- 1/ (संबंधित जिला का नाम) में अंकित संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति **प्रपत्र-एम 1** में तीन प्रतियों में प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर अपने जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। ज्ञातव्य है कि प्राधिकार के पत्रांक 131 दिनांक 15.01.2019 द्वारा दिये गये विस्तृत निदेश के आलोक में संबंधित समिति ने पूर्व में अपनी प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित तथा पर्यवेक्षकीय कर्मी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सूची तैयार की होगी। प्रबंधकारिणी समिति की उक्त बैठक के बाद एवं मतदाता सूची की तैयारी के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि के पूर्व, कोई सदस्य बनाये गये हों, या हटाये गये हो या मृत हो गये हों, तो वैसे परिवर्तनों के आधार पर किये गये संशोधनों को भी उक्त सूची में सम्मिलित किया जाएगा एवं उसपर यथा स्थिति समिति के अध्यक्ष/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जाएगा। पैक्स की प्रबंध समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मान्नी गयी है। अत: उस सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो समिति को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/ उपविधि के किस प्रावधान के तहत तथा किस प्रक्रिया को अपना कर सदस्यता समाप्त की गयी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी इस सूची पर विशेष ध्यान देंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो, तो उसका उल्लेख प्रपत्र-एम 1 के स्तंभ-5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। साथ ही प्रपत्र- एम 1 के स्तंभ- 6 में सह-सदस्य होने का भी उल्लेख किया जाना है। विगत चुनाव में जो सदस्य थे, वे तब तक सदस्य ही माने जाएँगे जब तक समिति अपने अभिलेखों, यथा- सदस्यता बही, कैशबुक आदि के आधार पर निर्विवादित रूप से यह प्रमाणित नहीं कर दें कि अमुक व्यक्ति सह-सदस्य हैं। इसमें किसी प्रकार का सन्देह होने पर सन्देह का लाभ सदस्य को दिया जाएगा अर्थात् संबंधित व्यक्ति को सदस्य माना जाएगा। **प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समादेश याचिका संख्या 14396/ 2019 बिन्दवाल प्राथमिक कृषि साख समिति एवं अन्य -बनाम- राज्य सरकार एवं अन्य तथा अन्य समरूप याचिकाओं में दिनांक 27.08.2019 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का उल्लंघन न हो।** समिति का यह भी दायित्व होगा कि कट-ऑफ

तिथि तक वैध रूप से सदस्य/ सह-सदस्य बनाये गये सभी व्यक्तियों का नाम प्रपत्र एम-1 में अवश्य सम्मिलित रहे। समिति के स्तर पर तैयार की गई यह प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को **दिनांक 26.12.2020** तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। अगर कोई समिति उक्त तिथि तक प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करने में विफल रहती है, तो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समिति की प्रारूप मतदाता सूची अपनी देख-रेख में तैयार करायें।

ii) समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रामाणिकता की जाँच संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख, यथा- सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची **दिनांक 28.12.2020** तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनायें सही हों तथा कट-ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों/ सह-सदस्यों के नाम सूची में शामिल रहें। पैक्स की प्रबंध समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अतः जिला सहकारिता पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया अपना कर ही सदस्यता समाप्त की गयी हो। निर्वाचन की पिछली मतदाता सूची से जिनका नाम समिति ने हटा दिया है और समिति द्वारा कंडिका- 6 (i) के अनुसार दी गयी सूची में सही प्रक्रिया के तहत नाम नहीं हटाया गया हो, तो जिला सहकारिता पदाधिकारी उसकी मान्यता नहीं देंगे और तद्नुसार सूची में सुधार करेंगे। साथ ही पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में अंकित सदस्य के नाम को सह-सदस्य के रूप में मान्यता नहीं देंगे, जब तक कि पूर्व उपकंडिका (i) के अनुसार निर्विवादित रूप से प्रमाणित हो जाए कि वह व्यक्ति सह-सदस्य है। **यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में समादेश याचिका संख्या 14396/ 2019 बिन्दवाल प्राथमिक कृषि साख समिति एवं अन्य -बनाम- राज्य सरकार एवं अन्य तथा अन्य समरूप याचिकाओं में दिनांक 27.08.2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का उल्लंघन न हो।**

iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना **प्रपत्र-एम 2** में निर्गत की जायेगी।

7. उक्त प्राथमिक कृषि साख समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
i	प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	26.12.2020
ii	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	28.12.2020
iii	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	29.12.2020
iv	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	29.12.2020
v	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	29.12.2020 से 08.01.2021 तक
vi	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	12.01.2021

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

9. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) दिनांक 30.12.2020 तक निम्नरूप से किया जायेगा :-

Step -1 - लॉगिन करने हेतु निर्देश

निर्वाचन पदाधिकारी अपने कम्प्यूटर के किसी इंटरनेट ब्राउजर पर प्राधिकार का वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ टाइप कर खोलेंगे। वेबपेज के दांये ऊपर लॉगिन पर क्लिक करें। प्राधिकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये अपने यूजरनेम तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

Step -2 - प्रारूप मतदाता सूची संबंधी सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश

लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **''समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम''** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने “View” पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **''प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं''** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर सबमिट करेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर **''मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं''** पर क्लिक कर देख सकेंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रारूप प्रकाशन किये जाने संबंधी उक्त सूचनाओं को समेकित कर प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर दिनांक 31.12.2020 तक भेज देंगे।

अतएव **संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रारूप प्रकाशन की स्थिति/ सूचना को ससमय प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रविष्टि करायें, ताकि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सके।**

10. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा **प्रपत्र–एम 3 में तथा मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र– एम 4** में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति के सदस्य हैं। **बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।** सादे कागज पर दी गई आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।

11. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

12. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति–पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो अथवा सदस्य को सह–सदस्य अंकित कर दिया हो, तो समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के किन प्रावधानों के तहत उक्त कार्रवाई की गई है। सह–सदस्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो यह समिति का दायित्व होगा कि अभिलेखों, यथा– सदस्यता बही, कैशबुक आदि के आधार पर निर्विवादित रूप से यह प्रमाणित करें कि अमुक व्यक्ति सह–सदस्य हैं। इसमें किसी प्रकार का सन्देह होने पर सन्देह का लाभ सदस्य को दिया जाएगा अर्थात् संबंधित व्यक्ति को सदस्य माना जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर सहकारिता पदाधिकारी से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था, परंतु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों, तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण–पत्र/ शेयर राशि जमा करने का साक्ष्य अथवा शेयर प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायगी। साथ ही साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

13. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र–एम 5** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन–सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप **प्रपत्र–एम 6** पर देखा जा सकता है।

14. संबंधित सहकारी समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा, जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

15. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-एम 1** में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे एवं एक प्रति मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

16. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति सहकारी समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 1.50/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

17. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

18. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पूर्व प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना दिनांक 13.01.2021 तक निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे :-

Step -1- **मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश**

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **"समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **"अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं"** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

दिनांक **14.01.2021** के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन की एक प्रति प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र-एम 7 में ही सभी निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित कर उसी प्रपत्र में फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) या विशेष दूत द्वारा दिनांक **15.01.2021** तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

19. कोविड-19 का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी दावा/ आपत्तियों का निष्पादन करते समय कोविड-19 संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा सुनवाई के समय भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि दावा/ आपत्तियों के निष्पादन हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित अवधि के अन्दर अलग-अलग दावों के लिए अलग-अलग समय का निर्धारण किया जाय। यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा उनपर सुनवाई के समय एक दूसरे व्यक्तियों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक-यथोक्त।

(गिरीश शंकर)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 2035 /पटना, दिनांक 22/12/2020

प्रतिलिपि: संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्त्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे कट-ऑफ तिथि के आधार पर प्राथमिक कृषि साख समिति से निर्धारित तिथि को प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची प्राप्त करने की व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 2035 /पटना, दिनांक 22/12/2020

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 2035 /पटना, दिनांक 22/12/2020

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 2035 /पटना, दिनांक 22/12/2020

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ संयुक्त सचिव/ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

जिला का नाम :- अररिया

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची, जिनका निर्वाचन होना है।

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय प्रा०कृ०सा०स० का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	फारबिसगंज	औराही पुरब प्रा०कृ०सा०स०	
2	फारबिसगंज	मिर्जापुर प्रा०कृ०सा०स०	
3	फारबिसगंज	कुसमाहा प्रा०कृ०सा०स०	
4	फारबिसगंज	अमौना प्रा०कृ०सा०स०	
5	फारबिसगंज	खैरखां प्रा०कृ०सा०स०	
6	फारबिसगंज	पोठिया प्रा०कृ०सा०स०	
7	फारबिसगंज	सहबाजपुर प्रा०कृ०सा०स०	
8	जोकीहाट	कुसैंल प्रा०कृ०सा०स०	
9	जोकीहाट	भुना मजगामा प्रा०कृ०सा०स०	
10	जोकीहाट	चिल्हनियाँ प्रा०कृ०सा०स०	
11	जोकीहाट	सिसौना प्रा०कृ०सा०स०	
12	जोकीहाट	भंसिया प्रा०कृ०सा०स०	
13	जोकीहाट	बागनगर प्रा०कृ०सा०स०	
14	जोकीहाट	दभड़ा प्रा०कृ०सा०स०	
15	जोकीहाट	हरदार प्रा०कृ०सा०स०	
16	जोकीहाट	गैरकी मसुरिया प्रा०कृ०सा०स०	
17	जोकीहाट	प्रसादपुर प्रा०कृ०सा०स०	
18	जोकीहाट	काकन प्रा०कृ०सा०स०	
19	कुर्साकांटा	लैलोखर प्रा०कृ०सा०स०	
20	कुर्साकांटा	हरिरा प्रा०कृ०सा०स०	
21	कुर्साकांटा	शंकरपुर प्रा०कृ०सा०स०	
22	कुर्साकांटा	जागीर पलासी प्रा०कृ०सा०स०	
23	कुर्साकांटा	लक्ष्मीपुर प्रा०कृ०सा०स०	
24	कुर्साकांटा	रहटमीना प्रा०कृ०सा०स०	
25	कुर्साकांटा	सौरगाँव प्रा०कृ०सा०स०	
26	कुर्साकांटा	पहुँसी प्रा०कृ०सा०स०	
27	रानीगंज	मिर्जापुर प्रा०कृ०सा०स०	
28	रानीगंज	धोबिनिया प्रा०कृ०सा०स०	

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय प्रा०कृ०सा०स० का नाम	अभ्युक्ति
29	रानीगंज	कालाबलुआ प्रा०कृ०सा०स०	
30	रानीगंज	खरसाही प्रा०कृ०सा०स०	
31	रानीगंज	परसाहट प्रा०कृ०सा०स०	
32	रानीगंज	परमानंदपुर प्रा०कृ०सा०स०	
33	रानीगंज	धामा प्रा०कृ०सा०स०	
34	नरपतगंज	खैरा प्रा०कृ०सा०स०	
35	नरपतगंज	मधुरा दक्षिण प्रा०कृ०सा०स०	
36	नरपतगंज	बड़हरा प्रा०कृ०सा०स०	
37	नरपतगंज	फत्तेहपुर प्रा०कृ०सा०स०	
38	नरपतगंज	पिठौरा प्रा०कृ०सा०स०	
39	नरपतगंज	खाबदह प्रा०कृ०सा०स०	
40	नरपतगंज	दरगाहीगंज प्रा०कृ०सा०स०	
41	नरपतगंज	भंगही प्रा०कृ०सा०स०	
42	नरपतगंज	पलासी प्रा०कृ०सा०स०	
43	पलासी	धर्मगंज प्रा०कृ०सा०स०	
44	पलासी	मियाँपुर प्रा०कृ०सा०स०	
45	पलासी	बरदबट्टा प्रा०कृ०सा०स०	
46	पलासी	सोहन्दर प्रा०कृ०सा०स०	
47	पलासी	रामनगर प्रा०कृ०सा०स०	
48	पलासी	डेहटी दक्षिण प्रा०कृ०सा०स०	
49	अररिया	बेलवा प्रा०कृ०सा०स०	
50	अररिया	बनगामा प्रा०कृ०सा०स०	
51	अररिया	झमटा प्रा०कृ०सा०स०	
52	अररिया	हरिया प्रा०कृ०सा०स०	
53	अररिया	बांसबारी प्रा०कृ०सा०स०	
54	अररिया	तरौना प्रा०कृ०सा०स०	
55	अररिया	मदनपुर पश्चिम प्रा०कृ०सा०स०	
56	अररिया	कमलदाहा प्रा०कृ०सा०स०	
57	अररिया	चन्द्रदेई प्रा०कृ०सा०स०	
58	सिकटी	आमगाछी प्रा०कृ०सा०स०	
59	सिकटी	कौआकोह प्रा०कृ०सा०स०	
60	सिकटी	मजरख प्रा०कृ०सा०स०	
61	सिकटी	मुरारीपुर प्रा०कृ०सा०स०	

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय प्रा०कृ०सा०स० का नाम	अभ्युक्ति
62	सिकटी	कुचहा प्रा०कृ०सा०स०	
63	सिकटी	बेंगा प्रा०कृ०सा०स०	
64	सिकटी	डेढुआ प्रा०कृ०सा०स०	
65	सिकटी	बोकन्तरी प्रा०कृ०सा०स०	
66	सिकटी	ठेंगापुर प्रा०कृ०सा०स०	
67	सिकटी	भिड़भिड़ी प्रा०कृ०सा०स०	
68	सिकटी	पड़रिया प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :- अरवल

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची, जिनका निर्वाचन होना है।

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	कुर्था	अहमदपुर हरना प्रा०कृ०सा०स०	
2	कलेर	उसरी प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :- औरंगाबाद

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची, जिनका निर्वाचन होना है।

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	नवीनगर	कंकेर प्रा०कृ०सा०स०	
2	नवीनगर	तोल प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :- भागलपुर

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची, जिनका निर्वाचन होना है।

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	रंगराचौक	मुरली प्रा०कृ०सा०स०	
2	रंगराचौक	रंगरा प्रा०कृ०सा०स०	
3	खरीक	राघोपुर प्रा०कृ०सा०स०	
4	खरीक	गोटखरीक प्रा०कृ०सा०स०	
5	पिरपैंती	हरिणकोल प्रा०कृ०सा०स०	
6	पिरपैंती	रानीदियारा प्रा०कृ०सा०स०	
7	नवगछिया	ढोलबज्जा प्रा०कृ०सा०स०	
8	नवगछिया	खैरपुर कदवा प्रा०कृ०सा०स०	
9	नवगछिया	तेतरी प्रा०कृ०सा०स०	
10	नारायणपुर	सिंहपुर पूरब प्रा०कृ०सा०स०	
11	नारायणपुर	आशाटोल प्रा०कृ०सा०स०	
12	नारायणपुर	बलाहा प्रा०कृ०सा०स०	
13	नारायणपुर	रायपुर भवानीपुर प्रा०कृ०सा०स०	
14	नारायणपुर	नगरपारा उत्तर प्रा०कृ०सा०स०	
15	इस्माईलपुर	कमलाकुण्ड प्रा०कृ०सा०स०	
16	सुलतानगंज	महेशी प्रा०कृ०सा०स०	
17	सुलतानगंज	मसदी प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :- दरभंगा

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची, जिनका निर्वाचन होना है।

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	जाले	बैंधौली प्रा०कृ०सा०स०	
2	केवटी	बंसारा प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :- जमुई

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची, जिनका निर्वाचन होना है।

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	लक्ष्मीपुर	आनन्दपुर प्रा०कृ०सा०स०	
2	गिद्धौर	कुन्धुर प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :- कैमूर

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची, जिनका निर्वाचन होना है।

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	भभुआ	अखलासपुर प्रा०कृ०सा०स०	
2	चॉद	सिरहिरा प्रा०कृ०सा०स०	
3	चॉद	लोहदन प्रा०कृ०सा०स०	
4	चॉद	सौखरा प्रा०कृ०सा०स०	
5	चैनपुर	जगरियॉ प्रा०कृ०सा०स०	
6	चैनपुर	बढौना प्रा०कृ०सा०स०	
7	चैनपुर	अमॉव प्रा०कृ०सा०स०	
8	चैनपुर	इसियॉ प्रा०कृ०सा०स०	
9	चैनपुर	सिकन्दरपुर प्रा०कृ०सा०स०	
10	चैनपुर	चैनपुर प्रा०कृ०सा०स०	
11	चैनपुर	मैढ प्रा०कृ०सा०स०	
12	चैनपुर	हाटा प्रा०कृ०सा०स०	
13	चैनपुर	डुमरकोन प्रा०कृ०सा०स०	
14	चैनपुर	नन्द गॉव प्रा०कृ०सा०स०	
15	रामपुर	सबार प्रा०कृ०सा०स०	
16	रामपुर	अमॉव प्रा०कृ०सा०स०	
17	रामपुर	भीतरी बाँध प्रा०कृ०सा०स०	
18	रामगढ	बडौरा प्रा०कृ०सा०स०	
19	कुदरा	मेउडा प्रा०कृ०सा०स०	
20	अधौरा	आथन प्रा०कृ०सा०स०	
21	अधौरा	सडकी प्रा०कृ०सा०स०	
22	अधौरा	डुमरावॉ प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :- कटिहार

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची, जिनका निर्वाचन होना है।

क०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	आजमनगर	तेघड़ा प्रा०कृ०सा०स०	
2	आजमनगर	मर्वतपुर प्रा०कृ०सा०स०	
3	आजमनगर	गोरखपुर प्रा०कृ०सा०स०	
4	आजमनगर	मुकुरिया प्रा०कृ०सा०स०	
5	आजमनगर	अमरसिंहपुर प्रा०कृ०सा०स०	
6	कदवा	चौनी प्रा०कृ०सा०स०	
7	बलरामपुर	बलरामपुर प्रा०कृ०सा०स०	
8	बलरामपुर	महिशाल प्रा०कृ०सा०स०	
9	बलरामपुर	फतेहपुर प्रा०कृ०सा०स०	
10	बलरामपुर	शरीफनगर प्रा०कृ०सा०स०	
11	बरारी	कान्तनगर प्रा०कृ०सा०स०	
12	बरारी	कावर प्रा०कृ०सा०स०	
13	बरारी	विशनपुर प्रा०कृ०सा०स०	
14	कोढ़ा	रौतारा प्रा०कृ०सा०स०	
15	समेली	डुमर प्रा०कृ०सा०स०	
16	समेली	मलहरिया प्रा०कृ०सा०स०	
17	समेली	छोहार प्रा०कृ०सा०स०	
18	बारसोई	बलतर प्रा०कृ०सा०स०	
19	फलका	रहटा प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :- मधुबनी

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची, जिनका निर्वाचन होना है।

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय प्रा०कृ०सा०स० का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	घोघरडीहा	पिरोजगढ़ पंचायत प्रा०कृ०सा०स०	
2	घोघरडीहा	ब्रह्मपुर दक्षिण पंचायत प्रा०कृ०सा०स०	
3	घोघरडीहा	परसा उत्तरी पंचायत प्रा०कृ०सा०स०	
4	पण्डौल	सरिसवपाही पूर्वी पंचायत प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :- पटना

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची, जिनका निर्वाचन होना है।

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	विक्रम	दतियाना प्रा०कृ०सा०स०	
2	बेलछी	अंदौली दरवेशपुरा प्रा०कृ०सा०स०	
3	पटना सदर	पश्चिमी दिघा प्रा०कृ०सा०स०	
4	दुल्हिन बाजार	भरतपुरा प्रा०कृ०सा०स०	
5	बिहटा	परेव प्रा०कृ०सा०स०	
6	बिहटा	दौलतपुर सिमरी प्रा०कृ०सा०स०	
7	फुलवारीशरीफ	सकरैचा प्रा०कृ०सा०स०	
8	दानापुर	सरारी प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :- सुपौल

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची, जिनका निर्वाचन होना है।

क्र०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	सरायगढ़ भपटियाही	चाँदपीपर प्रा०कृ०सा०स०	
2	पीपरा	कटैया माहे प्रा०कृ०सा०स०	
3	सुपौल	चैनसिंहपट्टी प्रा०कृ०सा०स०	
4	बसंतपुर	बनैलीपट्टी प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :- शेखपुरा

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची,जिनका निर्वाचन होना है।

क०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	शेखपुरा	पैन प्रा०कृ०सा०स०	
2	शेखपुरा	गगरी प्रा०कृ०सा०स०	
3	शेखपुरा	कोसरा प्रा०कृ०सा०स०	
4	शेखपुरा	पचना प्रा०कृ०सा०स०	
5	शेखपुरा	औधे प्रा०कृ०सा०स०	
6	घाटकुसुम्भा	भदौसी प्रा०कृ०सा०स०	
7	घाटकुसुम्भा	डीहकुसुम्भा प्रा०कृ०सा०स०	
8	घाटकुसुम्भा	पानापुर प्रा०कृ०सा०स०	
9	शेखोपुरसराय	चरूआवॉ प्रा०कृ०सा०स०	
10	बरबीघा	सर्वा प्रा०कृ०सा०स०	
11	चेवाड़ा	लहना प्रा०कृ०सा०स०	
12	चेवाड़ा	चकन्द्रा प्रा०कृ०सा०स०	

जिला का नाम :– पश्चिमी चम्पारण, बेतिया

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों की सूची,जिनका निर्वाचन होना है।

क०स०	प्रखण्ड	निर्वाचन देय पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	बगहा–1	बसवरिया प्रा०कृ०सा०स०	
2	बगहा–1	बीबी बनकटवा प्रा०कृ०सा०स०	